नकल आदेश दिनांक 30.7.2015

न्यायालय उपजिलाधिकारी पटियाली जनपद कासगंज।

वाद सं0-टी20151875022574

अन्तर्गत धारा-143यू0पी0जेड0ए0
एण्ड एल0आर0एक्ट0
वावत मौजा- पटियाली
परगना-पटियाली
तहसील'पटियाली
जनपद-कासगंज

आर0बी0एस0 महा विद्यालय पटियाली
प्रबन्धक/सचिव रामविलास सिंह पुत्र श्री ताहर सिंह
निवासी श्याम गन हाउस मैन चौराहा पटियाली
बनाम
सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी आर0बी0एस0 महा विद्यालय पटियाली प्रबन्धक/सचिव रामविलास सिंह पुत्र श्री ताहर सिंह निवासी श्याम गन हाउस मैन चौराहा पटियाली, तहसील पटियाली जनपद कासगंज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2015 के आधार पर योजित हुआ। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के सम्बन्ध में उपरोक्त ग्राम के खाता सं0 026 के गाटा सं0 2883 रकवा 0.150, 2884 रकवा 0.308, 2885 रकवा .870 हे0 की नकल खतौनी प्रस्तुत किया है।

वादी के कथन की जाचं तहसीलदार पटियाली से कराई गई और उनके द्वारा हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक की जाचं आख्या जेड0ए0 रूल्स की नियम 135 के अन्तर्गत दिये गये प्रारूप् पर आख्या प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के वादी संक्रमणीय भूमिधर है तथा खाता सं0 26 का कुल रकवा 2.737 हे0 के सापेक्ष मौके पर भूखण्ड सं0 2883 रकवा 0.066, 2884 रकवा 0.136, 2885 रकवा 0.386 हे0 कुल 3 किता रकवा 0.588 हे0 भूमि पर मौके पर आर0वी0एस0 महा विद्यालय श्यामनगर पटियाली का भवन बना हैं भूमि गैर कृषि उपयोग में लिया जा रहा हैं तथा यह भूमि यू0पी0 जेड0ए0एक्ट0 की धारा 3 (14) के अन्तर्गत कृषि भूमि की श्रेणी में नही है और आवादी घोषित करने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया गया जिससे स्पष्ट हैं कि खाता सं0 26 का कुल रकवा 2.737 हे0 के सापेक्ष भूखण्ड सं0 2883 रकवा 0.066, 2884 रकवा 0.136, 2885 रकवा 0.386 हे0 कुल 3 किता रकवा 0.588 हे0 भूमि खेती के प्रयोग में नही हो रही है जिसे भूराजस्व से अवमुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

मौजा पटियाली परगना व तहसीलदार पटियाली जनपद कासगंज के खाता सं0 26 का कुल रकवा 2.737 के सापेक्ष भूखण्ड सं0 2883 रकवा 0.066, 2884 रकवा 0.136, 2885 रकवा 0.386 हे0 कुल 3 किता रकवा 0.588 हे0 भूमि अकृषिक घोषित की जाती है तथा इतना क्षेत्रफल भूराजस्व से अवमुक्त की जाती है। पत्रावली वाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो।

30/7/15

उपजिलाधिकारी
पटियाली

प्रमाणित प्रतिलिपि
3-9-15
तहसील पटियाली